



UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 152 / 33 सी
सेवा में,

दिनांक 07 / 02 / 2022

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती।

विषय - जनपद टिहरी गढ़वाल में मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 70/2017 के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर के ग्राम धारी से बाग्यो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.991 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/49541/2020)

सन्दर्भ - आपका पत्रांक 1772/12-1 दिनांक 30.11.2021
महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी०/यू०सी०पी०/०६/१७७/२०२०/एफ०सी०/२१४० दिनांक २०.०१.२०२१ द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र में वर्णित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या चार-चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

- शर्त सं० 1 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 2 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(क) :- के अनुपालन में 1982 पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 735128.00 की धनराशि एवं एन०पी०वी० की धनराशि रू० 837395.00 को संयुक्त चालान (रू० 1572523.00) द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के फाइल नं० MoEF/SG File no 8B/ UCP/06/78/2021/FC के द्वारा दिनांक 12.01.2022 को जमा कर दिया गया है। (चालान की प्रति संलग्न है।) जहां तक व्यवहारिक स्थानीय प्रजातियों को लगाया जायेगा एवं प्रजातियों की एक प्लान्टेशन से बचा जायेगा।
- शर्त सं० 3(ख) :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि हस्तान्तरित की जाने वाली कुल वन भूमि का क्षेत्रफल 1 हे० से कम है जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य नहीं कराया जाना है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 4 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि हस्तान्तरित की जाने वाली कुल वन भूमि का क्षेत्रफल 1 हे० से कम है जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य नहीं कराया जाना है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 5(ख) :- के अनुपालन में यदि एन०पी०वी० की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 6 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार 81 वृक्ष एवं 34 Saplings से अधिक नहीं होगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 7 :- के अनुपालन में प्रमाणित किया जाता है कि मलबा निस्तारण हेतु चयनित स्थल में कोई वृक्ष विद्यमान नहीं है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 8 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है (चालान की प्रति संलग्न)।
- शर्त सं० 9 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपको उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

152